



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹5000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जलालपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-109/2019 धारा-498ए, 304बी भा०द०सं० व ¾ डीपी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एफटीसी प्रथम/ जीएसटी कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रघुराज पुत्र देवीदीन नि०ग्रा० कुपरा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक  
एडीजीसी श्री  
विशम्भर सिंह



विवेचक-  
सीओ बालकराम



पैरोकार- थाना जलालपुर  
हे०का० मनोज कुमार